न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- पी०एन०मिश्र, एच०जे०एस०

JO Code No- UP06548

(CNR NO- UPJS01- 005480- 2023)

सत्र वाद संख्या- ११०७/ २०२३

सरकार **बनाम** **मानवेन्द्र सिंह**

अ०सं०- ३१९/ २०२३

धारा- ३०२, ३२४, ५०४, ५०६ भा०द०सं०

थाना- मऊरानीपुर, जिला झाँसी।

आदेश

दिनांकः०४. ११. २०२३

१- पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त मानवेन्द्र सिंह न्यायिक अभिरक्षा में कारागार से उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

२- आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्त के दोष को किस- किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है।

३. मैंने इस मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

४. उपर्युक्त विचार तथा सुनवाई के उपरान्त मैं इस मत पर हूं कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्त मानवेन्द्र सिंह ने धारा- ३०२, ३२४, ५०४, ५०६ भा०द०सं० का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उनका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

५. अतएव एतदद्वारा मैं यह निर्देश देता हूं कि अभियुक्त मानवेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा- ३०२, ३२४, ५०४, ५०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये। अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक- को पेश हो। साक्षी नियमानुसार तलब हो।

(पी० एन० मिश्र)

दिनांकः०४. ११. २०२३ **सत्र न्यायाधीश,**

झाँसी।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- पी०एन०मिश्र, एच०जे०एस०

JO Code No- UP06548

(CNR NO- UPJS01- 005480- 2023)

सत्र वाद संख्या- ११०७/ २०२३

सरकार **बनाम** **मानवेन्द्र सिंह**

अ०सं०- ३१९/ २०२३

धारा- ३०२, ३२४, ५०४, ५०६ भा०द०सं०

थाना- मऊरानीपुर, जिला झाँसी।

आरोप

मैं, पी०एन० मिश्र, सत्र न्यायाधीश, झाँसी आप अभियुक्त **मानवेन्द्र सिंह** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाता हूं-

१- यह कि दिनाक ०७. ०६. २०२३ को समय करीब शाम- ०३. ३० बजे स्थान अभियुक्त मानवेन्द्र सिंह का खाली खेत बहद ग्राम बसरिया, थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में आपने वादी मुकदमा मुकेश की भाभी पुक्खन पत्नी विहारी प्रजापति को कुल्हाडी से मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित करके हत्या का अपराध कारित किया, इस प्रकार आपका यह कृत्य भा०द०सं० की धारा- **३०२** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

२- यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा मुकेश की भाभी पुक्खन पत्नी विहारी प्रजापति को कुल्हाड़ी मारकर घाव कारित करके स्वेच्छया उपहित कारित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य भा०द०सं० की धारा**- ३२४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

३- यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा मुकेश की भाभी पुक्खन पत्नी विहारी प्रजापति को गाली गलौज देकर लोक शांति भंग करने के आशय से प्रकोपित कर अपमानित करने का अपराध कारित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य भा०द०सं० की धारा- **५०४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

४- यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों द्वारा वादी मुकदमा मुकेश की भाभी पुक्खन पत्नी विहारी प्रजापति को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य भा०द०सं० की धारा- **५०६** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको यह निर्देश देता हूं कि उक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पी० एन० मिश्र)

दिनांकः०४- ११- २०२३ **सत्र न्यायाधीश,**

झाँसी।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे मानने से उन्होंने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(पी० एन० मिश्र)

दिनांकः०४- ११- २०२३ **सत्र न्यायाधीश,**

झाँसी।